

03.03.2025:-पत्रवाली आज पेशी मे ली गई। वादी अधिवक्ता-  
अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद  
अवलोकन पाया की वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा  
वाद पत्र मे कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा  
रही है। वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को लगातार  
अवसर दिये जा रहे है। हाजिर नहीं हो रहे। वादी  
अधिवक्ता को बार-बार आवाज लगाई गई। आवाज  
लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन  
उपस्थित नहीं आये। उभयपक्ष अधिवक्ता के उपस्थित  
नहीं आने के कारण वाद पत्र अदम पैरवी/अदम  
हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से  
कम की जाकर दाखिल चपतर हो।



*0125*  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़